न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैरक कोर्ट,भदोही–ज्ञानपुर।

फौजदारी अपील सं0– 17 सन 2017,

1. लाल बहादुर पाल पुत्र स्व 0 नेपाल पाल निवासी शेरपुर गोपलहा थाना दुर्गागंज जिला भदोही..... आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य.....अभियोजन पक्ष

फौजदारी वाद सं0 3788 सन 2015

अ 0 सं0 81 सन 2015

धारा–419,420,409,467,468,471 भा0 दं0 सं0।

थाना दुर्गागंज जिला भदोही।

1. अभियुक्त/अपीलार्थी लाल बहादुर पाल पुत्र स्व 0 नेपाल पाल निवासी शेरपुर गोपलहा थाना दुर्गागंज जिला भदोही की तरफ से फौजदारी वाद सं0 3788 सन 2015 अ 0 सं0 81 सन 2015 धारा–419,420,409,467,468,471 भा0 दं0 सं0 थाना दुर्गागंज जिला भदोही के मामले में प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र 6 ख एवं जुर्माने एवं दण्डादेश के स्थगन हेतु प्रार्थनापत्र 8 ख प्रस्तुत किया गया।

2. अभियुक्त/अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को उपरोक्त प्रकरण मे धारा 467/120 बी,468/120,471/120 बी भा0 दं0 सं0 के अन्ततर्गत सात वर्ष का साधारण कारावास तथा धारा 419 भा0 दं0 सं0 के तहत दो वर्ष के साधारण कारावास व धारा 420 भा0 दं0 सं0 के तहत चार वर्ष के साधारण कारावास तथा दो लाख पचास हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्धारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यो के विपरीत है। जो सूची तैयार की गयी थी वह शेषमनी पाण्डेय ग्राम पंचायत अधिकारी द्धारा तैयार की गयी थी उसमे अपीलार्थी की कोई भूमिका नही थी। निर्णय मे लाभार्थियो की संख्या के योग मे त्रुटि पर ध्यान नही दिया गया है। गवाह राजन शुक्ला पी0 डब्लू06 की अभियुक्त/अपीलार्थी से रंजिश के विन्दु पर

अधीनस्थ न्यायालय ने विचार नही किया। पी0 डब्लू010 गौतिरा देवी आरोप पत्र मे गवाहो की सूची मे नही थी। अभियोजन द्वारा उन्हे न्यायालय मे प्रथम बार परीक्षित कराया गया है। तथा इसी आधार पर जमानत की मॉग की है और जुर्माने को अपील के सुनवाई तक स्थगित किये जाने की प्रार्थना की है।

3. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत अपील को दण्ड प्रक्रिया संहिति की धारा 374 की उपधारा 2 के तहत इस न्यायालय को सुनवाई का अधिकार प्राप्त नही है। तथा दण्डाधिकारी द्वारा दण्डादेश द 0 प्र 0 सं0 की धारा 31 के तहत पारित किया गया है। तथा अभियुक्त विचारण के दौरान अभिरक्षा मे रहा है। तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णतः विधि संमत एवं तर्क पूर्ण है। इसलिए अपीलार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए। तथा दण्डादेश एवं जुर्माने का क्रियान्वयन स्थगित न किया जाए।

4. मैने उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान प्रकरण मे प्रभात कुमार श्रीवास्तव खण्ड विकास अधिकारी के पत्र प्रदर्श क–2 से यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है कि लाल बहादुर पाल तथा शेषमणि पाण्डेय के विरूद्ध सुसंगत धाराओ मे जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही की जाए। तथा जॉच रिपोर्ट प्रदर्श क–1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमे सेक्टर प्रभारी श्री कृष्ण कुमार को इन्द्रा आवासो की पात्रो की जॉच न करने का दोषी, श्री प्रभात कुमार श्रीवास्तव को लाभार्थियो का मिलान न करने का दोषी, भी पाया गया। परन्तु इन्ही प्रभात कुमार श्रीवास्तव द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। तथा प्रदर्श क–20 डी0 डब्लू01 फत्तेलाल की जिरह मे पेज 7 दिनांक 17.08.2016 को डलाया गया है

जिस पर बचाव पक्ष ने आपत्ति की है। तथा इस पर निर्णय के पृष्ठ 63 पर अधीनस्थ न्यायालय ने यह अभिमत दिया है कि वह प्रधान दायित्व था कि वह उसे देखता लेकिन यह जानबुझकर न देखना षडयन्त्र की बू आ रही है। जब कि अभियुक्त प्रधान नही है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन विन्दुओ पर दिये अभिमत पर अपील मे सुनवाई की आवश्यकता है। जहॉ तक धारा 374(2) के प्रावधान का प्रश्न है। यह अधिकार अभियुक्त का है कि वह माननीय उच्च न्यायालय मे अपील प्रस्तुत करेगा या सत्र न्यायाधीश के यहॉ। अभियोजन की यह आपत्ति मान्य नही है कि अपील पर सुनवाई का का अधिकार इस न्यायालय को नही है। और उपरोक्त विन्दुओ के आधार पर अपीलार्थी/अभियुक्त दौरान अपील जमानत का अधिकारी है और दण्डादेश व जुर्माने का क्रियान्यवयन स्थगित किये जाने योग्य है।

आदेश

अपीलार्थी/अभियुक्त लाल बहादुर पाल फौजदारी वाद सं0 3788 सन 2015 अ0सं0 81 सन 2015 धारा–419,420,409,467,468,471 भा0दं0सं0। थाना दुर्गागंज जिला भदोही मे सम्बन्धित मजि0 के समक्ष मु0 50,000/रूपये की दो जमानते एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र निष्पादित किये जाने पर रिहा किया जाए। तथा दौरान अपील जुर्माने की वसूली स्थगित रहेगी।

अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय,

भदोही–ज्ञानपुर।

14.12.2017